उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या-390/63-व0उ0-2018

लखनऊ : दिनांक- 23 फरवरी, 2018

कार्यालय-आदेश

हाल ही में शासन ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पालिसी-2017 जारी की है। इसके बाद दिनांक 21-22 फरवरी, 2018 को लखनऊ में Investors Summit 2018 का आयोजन भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया है। Investors Summit 2018 के अवसर पर बहुत से MoU वस्त्र उद्योग क्षेत्र में अधिकारियों तथा इच्छुक निवेशकों के मध्य हस्ताक्षरित हुए हैं। अब इन MoU को फलीभूत करने के लिए फालो-अप कार्यवाही की जानी है तथा निवेशकों से निरन्तर सम्पर्क रखते हुए उन्हें प्रदेश में निवेश करने हेतु प्रभावी तरीके से विश्वास दिलाकर उनसे निवेश कराया जाना है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर इच्छुक निवेशकों की समस्याओं का समाधान तथा उनके सुझाओं पर प्रभावी कार्यवाही भी करनी आवश्यक है।

हस्ताक्षरित MoU के सम्बन्धित निवेशकों से निरन्तर सम्पर्क बनाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा इच्छुक निवेशकों को नीति के लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1.	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	उपायुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर	सदस्य सचिव
4.	वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर	सदस्य

उपरोक्त समिति प्रतिदिन प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझाओं/मांगों की समीक्षा कर प्रत्येक प्रस्ताव पर अंतिम रूप से निर्णीत कराने हेतु समुचित प्रस्ताव बनायेगी।

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-390(1)/63-व0उ0-2018, तद्दिनांक-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश ।

2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें।

3- उद्योग बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।